

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 10/2024

GCMS No. : 2024/20

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
जरिये सरकार भुराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		1. श्री आभाष पुत्र नवीन्द्र कोठारी जाति जैन निवासी वीडो नगर इन्द्रा कॉलोनी पाली मैसर्स पाश्वनार्थ एन्टरप्राइजेज स्टेट घुमटी एरिया पाली (फैक्ट्री मैनेजर) 2. नवीन्द्र कोठारी पुत्र श्री ज्वरेरीलाल कोठारी जाति जैन निवासी वीडो नगर इन्द्रा कॉलोनी पाली मैसर्स पाश्वनार्थ एन्टरप्राइजेज स्टेट घुमटी एरिया पाली (फैक्ट्री मालिक)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51

उपस्थित :-

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

—: निर्णय :-

दिनांक : 12.6.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बाद तामिल वक्त बहस असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने से खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 27.05.2023 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स मैसर्स पाश्वनार्थ एन्टरप्राइजेज स्टेट घुमटी एरिया पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। अप्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम आभाष पुत्र नवीन्द्र कोठारी बताया एवं स्वयं को फैक्ट्री का मैनेजर होना बताया, फैक्ट्री के निरीक्षण के दौरान एक फ्रिज में लगभग 80 से 100 कुल्फी रखी हुयी थी। जिसे अप्रार्थी ने आमजन को विक्रय हेतु रखा हुआ था, जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने कुल्फी का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की जिसके लिए मेने दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर दिया। जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। स्वतंत्र गवाह नही होने कि स्थिति में मेरे साथ आये कम्प्युटर ऑपरेटर ओम प्रकाश कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया एवं अप्रार्थी को बता दिया की कुल्फी का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जांच हेतु ले रहा हूं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 20 पीस कुल्फी वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 500/- रुपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा कुल्फी को साफ सुखे चार सुटेबल कंटेनर में नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर-1867 लिखा एवं नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनों को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ले में लिया एवं मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होंने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म-6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर

Sudh

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली



नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया कुल्फी का नमुना संख्या आर-1867 के संबंध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/1533/एक्ट/2023/1573 दिनांक 09.06.2023 के अनुसार Substandard (अवमानक स्तर) पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Substandard (अवमानक स्तर) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसकी सुचना अप्रार्थीगण को जरिये रजि. डाक से प्रेषित कर दी गई है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.05.2023 को अप्रार्थी की फैंक्ट्री से कुल्फी वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर-1867 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबंध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये कुल्फी का नमुना कोड संख्या आर-1867 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया कुल्फी का नमुना Substandard (अवमानक स्तर) पाया गया। जिसका अप्रार्थीगण द्वारा विक्रय/उत्पादन करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लंघन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Substandard (अवमानक स्तर) कुल्फी का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगण पर 10,000/- अक्षरे दस हजार रुपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।



Luok
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 12/6/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Luok
(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली